

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025

1. यह अधिनियम क्या है?

- आधिकारिक नाम:** द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025।
- स्थिति:** लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित, 22 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति की सहमति मिली, और इस प्रकार यह कानून बन गया।

2. यह अधिनियम क्यों लाया गया? (सरकार का तर्क)

सरकार ने नए कानून के लिए कई प्रमुख कारण बताएः

- नागरिकों को वित्तीय नुकसान:** भारतीय हर साल रियल मनी गेम्स (आरएमजी) से लगभग ₹45,000 करोड़ रुपये खो रहे हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएँ:** विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) आरएमजी को कंपल्सिव बिहेवियर (compulsive behaviour), मनोवैज्ञानिक संकट और वित्तीय कठिनाई से जोड़ता है। कर्नाटक में ऑनलाइन गेमिंग की लत को 32 आत्महत्याओं का कारण बताया गया।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और अपराध:** आरएमजी को निम्नलिखित से जोड़ा गया है:
 - वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग।
 - टैक्स चोरी (एक रिपोर्ट के अनुसार ₹2.12 लाख करोड़ की चोरी)।
 - आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाना (संसदीय पैनल के अनुसार)।
 - विदेशी ऐप (जैसे चीनी ऐप PUBG) द्वारा भारतीय उपयोगकर्ताओं को ठगना।
- अनुचित और अस्पष्ट प्रणालियाँ:** सरकार का दावा है कि एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि लंबे समय में उपयोगकर्ता विजेता नहीं बन पाते और खेलों में हेराफेरी की जा सकती है।
- अधिकार क्षेत्र की चुनौतियाँ:** ऑफशोर कंपनियाँ भारतीय कानूनों को दरकिनार करती हैं, जिससे प्रवर्तन में चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

3. अधिनियम ऑनलाइन गेम्स को कैसे वर्गीकृत करता है?

अधिनियम तीन अलग-अलग श्रेणियाँ बनाता है:

श्रेणी	परिभाषा	उदाहरण	सरकार का रुख
ई-स्पोर्ट्स	राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत मान्यता प्राप्त खेल। इसमें पंजीकरण शुल्क और पुरस्कार राशि शामिल हो सकती है।	ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, कॉल ऑफ ड्यूटी	प्रोत्साहित किए जाएंगे
सोशल गेमिंग	मनोरंजन या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए खेले जाने वाले खेल (अभी तक कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं)।	कैंडी क्रश जैसे कैजुअल गेम (बिना पैसे के)	प्रोत्साहित किए जाएंगे
रियल मनी गेम्स (आरएमजी)	कोई भी ऑनलाइन गेम जहाँ एक खिलाड़ी पैसे या परिवर्तनीय वर्चुअल आइटम जीतने की उम्मीद में पैसा लगाता है। कौशल (skill) या अवसर (chance) के खेल के बीच कोई अंतर नहीं करता।	पोकर, रमी, फैटेसी क्रिकेट, लूडो (अगर पैसे के लिए खेला जाता है)	प्रतिबंधित किए जाएंगे

4. दंड क्या हैं?

अधिनियम ऑपरेटरों और विज्ञापनदाताओं पर सख्त दंड लगाता है, लेकिन खिलाड़ियों पर नहीं।

अपराध	सजा
आरएमजी की पेशकश करना या लेनदेन की सुविधा	3 साल तक की कैद, ₹5 करोड़ तक का जुर्माना, या दोनों।
आरएमजी का अवैध विज्ञापन	2 साल तक की कैद, ₹50 लाख तक का जुर्माना, या दोनों।

अपराध	सजा
कानूनी स्थिति: अपराध संज्ञेय (cognisable) (पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है) और गैर-जमानती (non-bailable) हैं।	

प्रवर्तन: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) प्रतिबंधित ऐप्स को ब्लॉक करेगी और ऑफशोर ऑपरेटरों के लिए इंटरपोल को शामिल कर सकती है।

5. विनियमन और प्रोत्साहन के बारे में क्या?

- एक नया नियामक प्राधिकरण ऑनलाइन गेम्स (ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग) को मान्यता देने और पंजीकृत करने के लिए बनाया जाएगा।
- अधिनियम देश में ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से बजट आवंटन का प्रावधान करता है।
- ऑनलाइन गेमिंग फर्मों को मध्यस्थ (intermediaries) माना जाता है और उन्हें आयु-सत्यापन (age-gating) और पैतृक नियंत्रण (parental controls) जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।

6. कानूनी चुनौतियाँ और अदालत का रुख

यह अधिनियम का सबसे विवादास्पद हिस्सा है।

- राज्य बनाम केंद्र:** "जुआ और सट्टेबाजी" का विनियमन संविधान के तहत एक राज्य का विषय है। कई राज्यों (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु) ने पहले ही ऐसे खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- कौशल बनाम अवसर:** सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि रमी और फैटेसी स्पोर्ट्स जैसे खेल "कौशल के खेल" हैं और उन्हें जुआ नहीं माना जा सकता।
- टकराव:** नया केंद्रीय अधिनियम कौशल बनाम अवसर के अंतर को नजरअंदाज करता है, और सभी आरएमजी पर प्रतिबंध लगाता है। कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि यह कौशल-आधारित गेम ऑपरेटरों के व्यापार और Occupation के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)) का उल्लंघन करता है।
- वर्तमान स्थिति:** सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग कंपनियों को जारी जीएसटी नोटिसों पर रोक लगा दी है। इन खेलों के जुआ हैं या कौशल और आरएमजी फर्मों पर पूर्वव्यापी (retrospective) जीएसटी

लेवी पर इसका अंतिम फैसला awaited है। अगर नए कानून को चुनौती दी जाती है तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

7. अधिनियम का विरोध

- आरएमजी उद्योग का तर्क है कि प्रतिबंध से 200,000 से अधिक नौकरियों को खतरा है।
- कंपनियाँ दाव के पूरे मूल्य (face value) पर 28% जीएसटी (प्लेटफॉर्म कमीशन पर नहीं) का विरोध करती हैं, इसे अनुचित और हानिकारक बताती हैं।
- मुख्य कानूनी तर्क यह है कि कौशल-आधारित खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध असंवैधानिक है।

